न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 66/2022
पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

तारीख रजू:— 09.11.2022

दीनदयाल पुत्र गंजन जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौनसिटी, जिला करौली, राजस्थान।

—— प्रार्थी /सायल

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली, राजस्थान। —अप्रार्थी/गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :— 29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्व अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थी/सायल के कब्जा काश्त, स्वामित्व, स्वत्व एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1377 रकवा 1.12 है0, 7830 रकवा 1.16 है0, 7831 रकवा 2.74 है0, 7865 रकवा 0.20 है0, 7866 रकवा 0.22 है0, 7867 रकवा 0.22 है0, 7868 रकवा 0.22 है0, 7869 रकवा 0.57 है0, 7870 रकवा 0.53 है0, 7871 रकवा 0.44 है0, 7872 रकवा 0.45 है0, 7873 रकवा 0.06 है0, 7874 रकवा 1.02 है0, 7575 रकवा 0.94 है0, 7876 रकवा 0.62 है0, 7881 रकवा 0.90 है0, 7882 रकवा 0.41 है0, 838 रकवा 0.58 है0, कुल किता 18 कुल रकवा 12.40 है0 बांके ग्राम कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है उक्त आराजीयात का प्रार्थी/सायल वहिस्सा 1/8 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थी/सायल के लाड़—प्यार व बचपन का नाम जगदीश प्रसाद है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात तथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड एवं पुत्रियों के शैक्षणिक दस्तावेजात, अंकतालिका बगै० सभी में दीनदयाल नाम दर्ज है, प्रार्थी को इन दोनों नामों से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाना व पहचाना जाता है ये दोनों ही नाम प्रार्थी के है प्रार्थी के अलावा इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की अल्प आयु में ही अपने पिता गंजन का स्वर्गवास हो चुका और उनकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के हक में खोलते समय हल्का पटवारी ने प्रार्थी के बचपन का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम दीनदयाल दर्ज है यानि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दीनदयाल के स्थान पर जगदीश प्रसाद प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया है जिसके कारण प्रार्थी के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है प्रार्थी को समस्त सरकारी व अन्य तथा बैंकिंग सुविधाऐं जो सरकार द्वारा देय है उनसे वंचित होना पड़ रहा है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश प्रसाद के स्थान पर दीनदयाल दुरुस्त करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि तथाकथित प्रकरण की जमाबंदी में प्रार्थी के पिताजी का नाम प्रार्थी की जाति, निवासी, खसरा नम्बरान, रकवा व भूमि की किस्म तो सही है परन्तु प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद गलत दर्ज है, जिसे दुरुस्त कर जगदीश प्रसाद के स्थान पर दीनदयाल किया जाना कानूनी रूप से उचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के अशुद्ध नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर शुद्ध नाम दीनदयाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से अप्रार्थी सरकार व अन्य को एवं राजस्व अभिलेखों में कोई किसी भी प्रकार की हानि व क्षति होने की कोई संभावना नहीं है जबकि शुद्ध नही किये जाने पर प्रार्थी को काफी क्षति हो रही है। इस कारण भी प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना विधि सम्मत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने नाम को सही करवाने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2022 को अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश किया तो तहसीलदार साहब द्वारा प्रार्थनापत्र को अपने पास रख लिया और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करने की मना कर दी थी और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ तब ही गलत नाम शुद्ध होगा इस कारण उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआर एक्ट के तहत निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर म्याद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र पर समाअत व सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम दीनदयाल दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे, तथा अमल दरामद हेतु एक तहरीर अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन को जारी होवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक एलआर/2024/2451 दिनांक 24.05.2024 से प्रकरण में भू.अ. निरीक्षक व पटवार हल्का से रिपोर्ट ली गई। प्रकरण में दावे की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सही है, शेष अस्वीकार है।
2. अस्वीकार है क्योंकि कोई रिकार्डेड साक्ष्य संलग्न नहीं है।
3. अस्वीकार है।
4. अस्वीकार है।
5. नाम परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है तो कोई आपत्ति नहीं है।
6. अस्वीकार है कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है।
7. कानूनी है।
8. कानूनी है।

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अमल सही है दावा खारिज योग्य है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 328767200261 दीनदयाल पुत्र गंजन, निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति राशन कार्ड संख्या 00273 दीनदयाल पुत्र गंजनसिंह निवासी जाट की सरा हिण्डौन सिटी वार्ड नं. 23 हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा–2017 ज्योति बैनीवाल पुत्री दीनदयाल बैनीवाल, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रमाण पत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा–2020 संजना चौधरी पुत्री दीनदयाल चौधरी, फोटो प्रति राजस्थान सरकार भामाशाह ई–कार्ड परिवार पहचान संख्या BCDWFKB सुनीतादेवी पत्नि दीनदयाल निवासी वार्ड नं. 23 जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति बैंक पास बुक भारतीय स्टेट बैंक शाखा हिण्डौन खाता संख्या 51060146961 दीनदयाल के नाम से जारी की गई है, श्रीमती पूनम देवी, पार्षद वार्ड नं. 36 नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2022 के अनुसार दीनदयाल पुत्र गंजन जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान का मूल निवासी है, इनका बचपन का नाम जगदीश प्रसाद है। दीनदयाल और जगदीश प्रसाद दोनों नामों से इनको जाना व पहचाना जाता है। इनके समस्त सरकारी दस्तावेजों में इनका नाम दीनदयाल है। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम से नहीं है। अतः मैं इनसे भली भाँति परिचित हूँ, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1377 रकवा 1.12 है0, 7830 रकवा 1.16 है0, 7831 रकवा 2.74 है0, 7865 रकवा 0.20 है0, 7866 रकवा 0.22 है0, 7867 रकवा 0.22 है0, 7868 रकवा 0.22 है0, 7869 रकवा 0.57 है0, 7870 रकवा 0.53 है0, 7871 रकवा 0.44 है0, 7872 रकवा 0.45 है0, 7873 रकवा 0.06 है0, 7874 रकवा 1.02 है0, 7575 रकवा 0.94 है0, 7876 रकवा 0.62 है0, 7881 रकवा 0.90 है0, 7882 रकवा 0.41 है0, 838 रकवा 0.58 है0, कुल किता 18 कुल रकवा 12.40 है0 वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र गंजन हि0 1/8 जाति जाट सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार हैं।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 328767200261 दीनदयाल पुत्र गंजन निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राशन कार्ड संख्या 00273 दीनदयाल पुत्र गंजनसिंह निवासी जाट की सरा हिण्डौन सिटी वार्ड नं. 23 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा–2017 ज्योति बैनीवाल पुत्री दीनदयाल बैनीवाल के नाम से जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा–2020 संजना चौधरी पुत्री दीनदयाल चौधरी के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राजस्थान सरकार भामाशाह ई–कार्ड परिवार पहचान संख्या BCDWFKB सुनीतादेवी पत्नि दीनदयाल निवासी वार्ड नं. 23 जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति बैंक पास बुक भारतीय स्टेट बैंक शाखा हिण्डौन खाता संख्या 51060146961 दीनदयाल के नाम से जारी की गई है।

श्रीमती पूनम देवी, पार्षद वार्ड नं. 36 नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2022 के अनुसार दीनदयाल पुत्र गंजन जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान का मूल निवासी है, इनका बचपन का नाम जगदीश प्रसाद है। दीनदयाल और जगदीश प्रसाद दोनों नामों से इनको जाना व पहचाना जाता है। इनके समस्त सरकारी दस्तावेजों में इनका नाम दीनदयाल है। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम से नहीं है। अतः मैं इनसे भली भॉति परिचित हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थी का नाम दीनदयाल पुत्र गंजन है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसद दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, जब प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत में मिली तथा उस समय जो नामान्तकरण खुला उसमें प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज हो गया तो प्रार्थी को नियमानुसार उक्त नामान्तकरण की अपील करनी चाहिए थी। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जगदीश प्रसाद हो। यह तथ्य साबित नहीं होता है। जगदीश प्रसाद अन्य व्यक्ति भी तो हो सकता है। प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात में जगदीश प्रसाद पुत्र गंजन के स्थान पर दीनदयाल पुत्र गंजन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1377 रकवा 1.12 है0, 7830 रकवा 1.16 है0, 7831 रकवा 2.74 है0, 7865 रकवा 0.20 है0, 7866 रकवा 0.22 है0, 7867 रकवा 0.22 है0, 7868 रकवा 0.22 है0, 7869 रकवा 0.57 है0, 7870 रकवा 0.53 है0, 7871 रकवा 0.44 है0, 7872 रकवा 0.45 है0, 7873 रकवा 0.06 है0, 7874 रकवा 1.02 है0, 7575 रकवा 0.94 है0, 7876 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.62 है0, 7881 रकवा 0.90 है0, 7882 रकवा 0.41 है0, 838 रकवा 0.58 है0, कुल किता 18 कुल रकवा 12.40 है0 वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 29/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)